भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2373

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का प्रभाव"

2373. श्री यूसुफ पठान:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर उच्च जीएसटी दरों के प्रभाव से अवगत है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त करने या कम करने का विचार है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सभी सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% की मानक दर से जीएसटी लागू है। तथापि, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों के लिए कुछ स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी और निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, जीएसटी से मुक्त हैं।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी का मुद्दा दिनांक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उनके समक्ष रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए एक मंत्री-समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर एक मंत्री-समूह (जीओएम) का गठन किया गया।

दिनांक 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर मंत्री-समूह (जीओएम) के संयोजक ने जीओएम की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा। परिषद ने मंत्री-समूह (जीओएम) को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने पर सहमति व्यक्त की।

*****